



2026:AHC-LKO:40561

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या- 4029 वर्ष 2026

अरविन्द

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव गृह, लखनऊ के माध्यम से

..... विरोधी पक्षकार(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : अंजना पाण्डेय

विरोधी पक्षकार(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 11

माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. यह जमानत प्रार्थना-पत्र आवेदक द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 170/2026, धारा 2/3 उ० प्र० गिरोहबंद तथा समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, थाना-बछरावां, जिला रायबरेली में जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है तथा वह 11.05.2026 से जेल में है। आवेदक की ओर से यह भी निवेदन किया गया है कि यह निर्विवाद है कि एक मामला गैंग चार्ट में दर्ज है और उक्त मामले में आवेदक

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

जमानत पर है। यह भी निवेदन किया गया है कि अपराध करके धन की वसूली का कोई सबूत नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया है कि आवेदक वचन देता है कि वह किसी भी ऐसे कार्य में शामिल नहीं होगा जो कानून के विरुद्ध हो। अतः निवेदन किया गया है कि आवेदक जमानत का हकदार है। यह भी निवेदन किया गया है कि जमानत पर रिहा होने की स्थिति में वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता जमानत देने की प्रार्थना का विरोध करते हैं, लेकिन निष्पक्ष रूप से स्वीकार करते हैं कि गिरोह चार्ट में उल्लिखित मामले में, आवेदक जमानत पर है।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों पर विचार करते हुए और अभिलेखों को देखते हुए तथा आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए इस कथन के मद्देनजर कि आवेदक किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो कानून के विरुद्ध हो, उ० प्र० गिरोहबंद तथा समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 19 (4) के अंतर्गत निहित दोनों शर्तें संतुष्ट हैं।

6. उपरोक्त के मद्देनजर, मेरा मानना है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है, इसलिए यह आवेदन स्वीकार किया जाता है।

7. आवेदक, अर्थात् अरविन्द को प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 170/2026 में 20,000/- रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो विश्वसनीय जमानती पेश करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा जो उस अपराध के समान हो जिसका उस पर आरोप लगाया गया है, या जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(iii) आवेदक को यह वचन देना होगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथि पर स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन होने पर, अधीनस्थ न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है।

(iv) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अपने वकील के माध्यम से निचली अदालत के समक्ष उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, अधीनस्थ न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 269 भा०न्या०सं० के तहत कार्यवाही कर सकती है।

(v) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, तो उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 84 भा०ना०सु०सं० के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो परीक्षण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 209 भा०न्या०सं० के तहत विधि के अनुसार कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

(vi) आवेदक (क) मुकदमे की सुनवाई शुरू होने, (ख) आरोप तय करने; और (ग) धारा 351 भा०ना०सु०सं० के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तारीखों पर परीक्षण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि अधीनस्थ न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना पर्याप्त कारण के है, तो अधीनस्थ न्यायालय इस चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्यवाही कर सकती है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. उपरोक्त शर्तों का कोई भी उल्लंघन जमानत का दुरुपयोग माना जाएगा और अधीनस्थ न्यायालय जमानत रद्द करने के संबंध में उचित आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगी।

जून 9, 2026

वीकेएस

(न्यायमूर्ति राजीव सिंह)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।